संख्या-526/2023/2479/22-2-2023-17(494)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंकार सिंह उर्फ फौजी पुत्र श्री सोरन सिंह, निवासी जनपद-कासगंज की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19923/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023) दिनांक-16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंकार सिंह उर्फ फौजी पुत्र श्री सोरन सिंह, करनपुर, थाना-पटियाली, जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज का निवासी है। बंदी ने मकान खाली कराये जाने की रंजिश में दिनांक 13.04.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामरतन त्रिपाठी व उनकी पत्नी श्रीमती सरोज त्रिपाठी नामक महिला सहित 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-91, 92/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-02, हरदोई के आदेश दिनांक 15.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.03.2023 तक 14 वर्ष 04 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहा होने पर घटना की पुनरावृत्ति की सम्भावना के दृष्टिगत बन्दी को सजा पूर्ण होने तक कारागार में रखना न्यायोचित होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने मकान खाली कराये जाने की रंजिश में दिनांक 13.04.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामरतन त्रिपाठी व उनकी पत्नी श्रीमती सरोज त्रिपाठी नामक महिला सहित 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओंकार सिंह उर्फ फौजी पुत्र श्री सोरन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंकार सिंह उर्फ फौजी (बंदी संख्या-25677) पुत्र श्री सोरन सिंह, निवासी जनपद-कासगंज के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-526/2023/2479(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका संख्या-150/2022 ओमकार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-526/2023/2479/22-2-2023-17(494)/2023

दिनांक 16 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंकार सिंह उर्फ फौजी पुत्र श्री सोरन सिंह, करनपुर, थाना-पटियाली, जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज का निवासी है। बंदी ने मकान खाली कराये जाने की रंजिश में दिनांक 13.04.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामरतन त्रिपाठी व उनकी पत्नी श्रीमती सरोज त्रिपाठी नामक महिला सहित 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-91, 92/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-02, हरदोई के आदेश दिनांक 15.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.03.2023 तक 14 वर्ष 04 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहा होने पर घटना की पुनरावृत्ति की सम्भावना के दृष्टिगत बन्दी को सजा पूर्ण होने तक कारागार में रखना न्यायोचित होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने मकान खाली कराये जाने की रंजिश में दिनांक 13.04.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामरतन त्रिपाठी व उनकी पत्नी श्रीमती सरोज त्रिपाठी नामक महिला सहित 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओंकार सिंह उर्फ फौजी पुत्र श्री सोरन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।